



2026:AHC:45208

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद
रिट - सी सं. - 7234 वर्ष 2026

निर्णय सुरक्षित 24.02.2026

निर्णय घोषित 27.02.2026

कमल पांडे एवं अन्य

.....याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

..... प्रतिवादी(यों)

याचिकाकर्ता(ओं) की ओर से अधिवक्ता : आलोक तिवारी

प्रतिवादी(यों) की ओर से अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता, श्री प्रकाश द्विवेदी,
वेदांश पाठक

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पडिया

1. श्री आलोक तिवारी, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 1 एवं 2 की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता तथा प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से श्री राकेश पांडे, वरिष्ठ अधिवक्ता, जिनकी सहायता श्री वेदांश पाठक, अधिवक्ता द्वारा की गई, को सुना गया।

2. याचिकाकर्तागण ने निम्नलिखित प्रार्थना के साथ वर्तमान याचिका प्रस्तुत की है:

I. उत्प्रेषण लेख की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसके माध्यम से उप-जिला मजिस्ट्रेट/सहायक कलेक्टर, दुद्धी, सोनभद्र (प्रतिवादी संख्या 2) द्वारा कंप्यूटरीकृत वाद संख्या टी802025070128 में पारित आदेश दिनांक 06.11.2025 और 17.01.2026 से संबंधित पत्रावली मंगवाकर उन्हें रद्द कर दिया जाए।

3. संक्षेप में रिट याचिका में वर्णित तथ्य यह हैं कि प्रतिवादी संख्या-3/श्री अतुल पाण्डेय द्वारा दिनांक 10.10.2025 को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 80 के अंतर्गत एक प्रार्थना-पत्र प्रतिवादी संख्या-2/उप-जिलाधिकारी, तहसील दुद्धी, जनपद सोनभद्र के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसे कंप्यूटरीकृत वाद संख्या टी802025070128

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



के रूप में पंजीकृत किया गया। उक्त प्रार्थना-पत्र पर तहसील दुद्धी, जनपद सोनभद्र के नायब तहसीलदार से आख्या मांगी गई। उपर्युक्त आख्या पर विचार करते हुए प्रतिवादी संख्या-2 द्वारा दिनांक 06.11.2025 को आदेश पारित करते हुए प्रतिवादी संख्या-3 द्वारा प्रस्तुत दिनांक 10.10.2025 के प्रार्थना-पत्र को स्वीकार कर लिया गया। जब याचिकाकर्ताओं को उक्त आदेश की जानकारी हुई, तब उन्होंने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 209(ह) के अंतर्गत उक्त आदेश को निरस्त/वापस लिए जाने हेतु वापसी प्रार्थना-पत्र प्रतिवादी संख्या-2 के समक्ष प्रस्तुत किया। उक्त वापसी प्रार्थना-पत्र के विरुद्ध प्रतिवादी संख्या-3 द्वारा भी दिनांक 15.12.2025 को प्रतिवादी संख्या-2 के समक्ष आपत्तियां दाखिल की गईं, जिसकी प्रति रिट याचिका के साथ परिशिष्ट संख्या-26 के रूप में संलग्न है। तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या-2 द्वारा दिनांक 17.01.2026 के आदेश के माध्यम से उक्त वापसी प्रार्थना-पत्र को अस्वीकार कर दिया गया। उपर्युक्त आदेश से व्यथित होकर याचिकाकर्ताओं ने वर्तमान रिट याचिका प्रस्तुत की है।

4. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री आलोक तिवारी द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि यद्यपि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 80 के अंतर्गत प्रार्थना-पत्र प्रतिवादी संख्या-3 द्वारा प्रथम बार दिनांक 10.10.2025 को प्रस्तुत किया गया था, जिसकी प्रति रिट याचिका के साथ परिशिष्ट संख्या-21 के रूप में संलग्न है, तथापि तहसील दुद्धी, जनपद सोनभद्र के नायब तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत दिनांक 08.10.2025 की आख्या, जिसकी प्रति पत्रावली के पृष्ठ 179 पर संलग्न है, को ध्यान में रखते हुए प्रतिवादी संख्या-2 द्वारा दिनांक 06.11.2025 को एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया गया। यह भी तर्क दिया गया कि चूंकि नायब तहसीलदार, तहसील दुद्धी, जनपद सोनभद्र द्वारा प्रस्तुत आख्या प्रतिवादी संख्या-3 द्वारा दिनांक 10.10.2025 को प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र की तिथि से पूर्व की है, अतः प्रतिवादी संख्या-2 द्वारा दिनांक 06.11.2025 के विवादित आदेश को पारित करते समय उक्त आख्या को विचारार्थ नहीं लिया जा सकता था। आगे यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रस्तुत वापसी प्रार्थना-पत्र में विभिन्न आधार उठाए गए थे, किंतु उक्त प्रार्थना-पत्र को अस्वीकार करते समय उन आधारों पर विचार नहीं किया गया। याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने इस संबंध में पुनर्स्थापन प्रार्थना-पत्र के अनुच्छेद संख्या 9, 10 एवं 11 पर भी अपना भरोसा व्यक्त किया, जो इस प्रकार है—

9. यह कि प्रार्थीगण के पूर्वज अमर नाथ पाण्डेय द्वारा अपील अभिलेख अधिकार सोनभद्र के न्यायालय में 09.01.2019 के विरुद्ध दाखिल किए जो अपील सं.डी 201 916660000091 के रूप में दर्ज हुई जिसमें अस्थायी निषेध आदेश पारित करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर सुनवाई किए जाने के पश्चात अभिलेख अधिकारी सोनभद्र द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया। लेहाजा प्राथीगंग के पूर्वज अमर नाथ पाण्डेय द्वार निगरानी मा. राजस्व परिषद उ. प्र. लखनऊ के समक्ष अमर नाथ पाण्डेय बनाम ओम प्रकाश पाण्डेय दाखिल किया गया जिसमें मा. परिषद द्वारा दिनांक 21-01-2019 को स्थगन आदेश पारित करते हुए दिनांक 09-01-19 का क्रियान्वयन स्थगित कर दिया गया, बादहू निगरानी निस्तारित करते हुए दिनांक 22.04.2025 के आदेशानुसार पुनः सुनवाई हेतु पत्रावली अभिलेख अधिकारी सोनभद्र में प्रतिप्रेषित कर दिया गया जो वर्तमान में वाद सं. डी 202516660001780 सम् 2025 अमर नाथ पाण्डेय बनाम ओम प्रकाश पाण्डेय अभिलेख अधिकारी/अपर जिलाधिकारी सोनभद्र के न्यायालय में विचाराधीन है।

10. यह कि इतना सब कुछ होते हुए भी विपक्षी अतुल पाण्डेय पुत्रस्व० ओम प्रकाश पाण्डेय द्वारा तथ्यों को छिपाते हुए एवं न्यायालय के समक्ष सही बातों को न रखते हुए धोखा धड़ी पूर्वक न्यायालय को अधरे में रखते हुए उपरोक्तवाद धारा 80 उ०प्र० रा० संहिता 2006 के तहत बिला जानकारी प्रार्थीगण चोरी छिपे न्यायालय से प्रस्तुत कर पर्ची आख्या लगवाकर दिनांक 06.11.2025 को एकपक्षीय आदेश पारित करा लिया गया जो कर्तई कानून के विपरीत है, जिसके कायम रहने से शख्तहकतलफ़ी प्रार्थीगण की है।

11. यह कि आ० निके जज भाग आ० नं 25। घ में रकबा 12 विस्वा प्रार्थीगण की आबादी घर, मकान सन्- 1385 प के पूर्व से बना हुआ

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



हैं, जिसमें वे निवास करते हैं तथा शेष भूमिपर कृषिक अध्यासन के रूप में कृषिकार्य करते हुए चले आ रहे हैं। हरगिज सम्पूर्ण आ० नि. का रकबा अकृषिक नहीं है तथा मौके पर खेती-बारी होती है तथा खाली जमीन है, विपक्षी द्वारा गलत रिपोर्टके आधार पर पूरे रकबे को अकृषिक घोषित करार कर दिया गया जो बिल्कुल गलत है तथा एकपक्षीय आदेश पारित आदेश है।

5. यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि यद्यपि याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर वापसी प्रार्थना-पत्र में स्पष्ट रूप से यह आधार लिया गया था कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 210 के अंतर्गत याचिकाकर्ताओं द्वारा दाखिल अपील संख्या डी916660000091 वर्ष 2019 अभिलेख अधिकारी, सोनभद्र के समक्ष विचाराधीन है, तथापि प्रतिवादी संख्या-2 द्वारा उपर्युक्त आदेश पारित करते समय प्रकरण के इस पहलू पर कोई विचार नहीं किया गया। यह भी तर्क दिया गया कि यद्यपि वापसी प्रार्थना-पत्र में विभिन्न आधार प्रस्तुत किए गए थे, तथापि दिनांक 17.01.2026 के आदेश द्वारा उसे अस्वीकार करते समय उन आधारों में से किसी पर भी विचार नहीं किया गया।

6. दूसरी ओर, प्रतिवादी संख्या-3 की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राकेश पांडे, जिनकी सहायता श्री वेदांश पाठक, अधिवक्ता द्वारा की गई, ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 80 के अंतर्गत प्रतिवादी संख्या-3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र को स्वीकार करते समय प्रतिवादी संख्या-2 द्वारा प्रकरण के सभी पहलुओं पर विचार किया गया है। यह भी तर्क दिया गया कि वापसी प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रासंगिक तथ्यों एवं आधारों पर विचार करने के उपरांत ही प्रतिवादी संख्या-2 द्वारा दिनांक 17.01.2026 के आदेश के माध्यम से उक्त प्रार्थना-पत्र को अस्वीकार किया गया है। इसलिए यह विशेष रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप के लिए उपयुक्त मामला नहीं है।

7. प्रतिवादीगण-राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने भी उपर्युक्त तर्कों का समर्थन किया।

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

9. अभिलेख के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 80 के अंतर्गत प्रतिवादी संख्या-3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र को प्रतिवादी संख्या-2 द्वारा दिनांक 06.11.2025 के एकपक्षीय आदेश के माध्यम से स्वीकार कर लिया गया था। उक्त आदेश को वापस लिए जाने के लिए याचिकाकर्ताओं द्वारा विभिन्न आधारों पर वापसी प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया, जिनमें से कुछ आधारों का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। प्रतिवादी संख्या-3 द्वारा उक्त वापसी प्रार्थना-पत्र के विरुद्ध आपत्ति दाखिल की गई, किंतु वापसी प्रार्थना-पत्र के अनुच्छेद संख्या 9, 10 एवं 11 में किए गए कथनों का उसके द्वारा खंडन नहीं किया गया। दिनांक 17.01.2026 के उस आदेश के अवलोकन से, जिसके द्वारा वापसी प्रार्थना-पत्र को अस्वीकार किया गया, यह स्पष्ट होता है कि प्रकरण के उपर्युक्त पहलुओं पर विचार किए बिना ही पुनर्स्थापन प्रार्थना-पत्र को अस्वीकार कर दिया गया, जिससे उक्त आदेश स्वयं ही त्रुटिपूर्ण (विधि-दूषित) हो जाता है। उक्त आदेश के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि वह अकारण आदेश है, जिसमें केवल पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तर्कों का उल्लेख किया गया है तथा बिना किसी स्वतंत्र निष्कर्ष दर्ज किए और बिना याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत वापसी प्रार्थना-पत्र में किए गए उन कथनों पर विचार किए, जिनका प्रतिवादी संख्या-3 द्वारा अपनी आपत्ति/उत्तर में विशेष रूप से खंडन भी नहीं किया गया था, वापसी प्रार्थना-पत्र को अस्वीकार कर दिया गया।

10. प्रशासनिक विधि में कारण बताने का दायित्व यद्यपि न्यायालयों द्वारा विकसित सिद्धांत है, तथापि जहाँ न्यायिक प्राधिकारी विभिन्न विधियों के अंतर्गत न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करते हैं, वहाँ इस विषय में कोई विवाद नहीं है कि उनके आदेशों में उन आदेशों के समर्थन में कारण अवश्य होने चाहिए। बिना कारण बताए पारित किया गया न्यायिक आदेश, विधि की दृष्टि में आदेश नहीं माना जाता।

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



11. भारत में इस विषय में स्थिति कुछ भिन्न है, तथापि न्यायालयों ने इस क्षेत्र में उल्लेखनीय रचनात्मकता प्रदर्शित की है। भारतीय न्यायालयों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान यह है कि उन्होंने इस सिद्धांत को विकसित किया है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की यह अपेक्षा है कि निर्णय करने वाली संस्थाएँ अपने निर्णयों के कारण स्पष्ट करें। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी यह प्रतिपादित किया है कि चूँकि अनेक संवैधानिक प्रावधान निर्णयकारी प्राधिकरणों पर न्यायिक नियंत्रण की गारंटी प्रदान करते हैं, इसलिए ऐसे प्राधिकरणों के लिए कारणयुक्त निर्णय देना अनिवार्य है, जिससे न्यायिक नियंत्रण प्रभावी एवं सार्थक बनाया जा सके।

12. हाल ही में डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, प्रयागराज द्वारा प्रकाशित पुस्तक “इलाहाबाद विधि वार्षिक सर्वेक्षण”, खंड-I / 2025 (आईएसएसएन: 3108-2770) में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, शिमला के कुलपति द्वारा लिखित एक लेख भी प्रकाशित हुआ है। उक्त लेख के अनुच्छेद संख्या-3 में निम्नलिखित कहा गया है—

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत अर्ध-न्यायिक तथा प्रशासनिक दोनों प्रकार की जाँचों पर लागू होते हैं, जिनसे नागरिक परिणाम उत्पन्न होते हैं। प्रशासनिक विधि, भारतीय संविधान की सहायक शाखा है, जो संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों की भी रक्षा करती है। ए.के. क्रैपक बनाम भारत संघ, (1969) 2 एससीसी 262 में न्यायालय ने यह बल दिया कि ‘प्राकृतिक न्याय के नियमों का उद्देश्य न्याय सुनिश्चित करना है अथवा नकारात्मक रूप में कहें तो न्याय के विफल होने से रोकना है। समाज, जिसने संविधान में समाजवाद को अपने आस्था-पत्र के रूप में स्वीकार किया है, उसमें न्याय केवल न्यायिक अथवा अर्ध-न्यायिक प्राधिकरणों द्वारा ही नहीं, बल्कि प्रशासनिक कार्य करने वाले प्राधिकरणों द्वारा भी वितरित किया जाता है। मेनका गांधी बनाम भारत संघ में भी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का प्रयोग राज्य तथा उसकी प्रशासनिक

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कार्यवाहियों पर विस्तारित किया गया। भारत संघ बनाम तुलसी राम पटेल में न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि 'प्राकृतिक न्याय को विभिन्न न्यायाधीशों ने विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया है, कुछ उदाहरण पर्याप्त होंगे। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत (कोई भी व्यक्ति अपने मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता – पक्षपात के विरुद्ध नियम तथा दूसरे पक्ष को भी सुनो – सुनवाई का अधिकार) प्रशासनिक प्रक्रियाओं में निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करते हैं। इसके अतिरिक्त, कारणों का अभिलेखन भी प्राकृतिक न्याय का एक सिद्धांत है और प्रत्येक न्यायिक/अर्ध-न्यायिक आदेश को लिखित रूप में कारणों द्वारा समर्थित होना चाहिए। यह निर्णय-प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करता है। जिस व्यक्ति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया जाता है, वह यह जानना चाहता है कि उसकी प्रस्तुतियाँ क्यों स्वीकार नहीं की गईं। कारण देने से यह सुनिश्चित होता है कि सुनवाई केवल औपचारिकता बनकर न रह जाए।

13. उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी संख्या-2/उप जिलाधिकारी, तहसील दुध्दी, जनपद सोनभद्र द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.11.2025 एवं 17.01.2026 प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के पूर्णतः उल्लंघन में पारित किए गए हैं। अतः उक्त आदेश विधि की दृष्टि में टिकाऊ नहीं हैं और इन्हें निरस्त किया जाना आवश्यक है; फलस्वरूप, उक्त आदेशों को निरस्त किया जाता है।

14. प्रतिवादी संख्या-2/उप जिलाधिकारी, तहसील दुध्दी, जनपद सोनभद्र को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रकरण में यथाशीघ्र, और यथासंभव इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर, याचिकाकर्ताओं तथा प्रतिवादी संख्या-3 को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरांत नवीन आदेश पारित करें।

15. उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ, यह रिट याचिका स्वीकृत की जाती है।

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



27 फरवरी, 2026

सकलैन

(न्यायमूर्ति प्रकाश पडिया)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।